संख्या-सा० नि०क०-6-0-5।90-809।सा०पु०
बिहार सरकार
सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग

प्रेषक,

श्री जे० के० दत्ता,
सहाय्य एवं पुनर्वास आयुक्त।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15 दिनांक 18 अप्रील 1990

विषय—अग्निकांड में जिला प्रशासन द्वारा सहाय्य प्रदान करने के संबंध में शीघ्र कारगर कार्रवाई एवं उसके रोकथाम हेतु प्राथमिक सुझावयुक्त उपाय की तैयारियां ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रति वर्ष अग्निकांड के संबंध में समय-समय पर प्रशासन द्वारा सहाय्य प्रदान करने एवं प्रारम्भ में ही अग्निकांड की घटनाओं की रोकथाम के लिये कारगर कदम उठाने का निदेश सरकार द्वारा दिया जाता रहा है। इसी संदर्भ में विभागीय पत्रांक-752 दिनांक 6 अप्रील 1990 के क्रम में जिला पदाधिकारी, छपरा द्वारा अपने जिला के सभी पदाधिकारियों के लिये निर्गत आदेश संख्या 26 मु० दिनांक 4 अप्रील 1990 की प्रतिलिपि संलग्न की जाती है जो आत्मभारित समीचीन उपयोगी एवं स्वत: स्पष्ट है। सरकार द्वारा अग्निकांड पर समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी छपरा द्वारा अपने जिले में अग्निकांड पर निर्गत आदेश इस दिशा में एक सराहनीय कदम है ।

आपसे अनुरोध है कि जिला पदाधिकारी छपरा के आदेश के अनुरुप विषयाधीन मामले में आप भी अपने जिला में ऐसा ही आदेश निर्गत करने की कृपा करें ।

2. यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रीष्मकाल में वैसे देहाती क्षेत्रों में अग्निकांड की घटनायें प्राय: होती रहती है, जहां तेज वायु को रोकने हेतु बाग, बगीचो का बिल्कुल अभाव है जिला प्रशासन अग्निकांड की प्रारम्भिक रोकथाम के लिये निम्नांकित कार्यक्रम पंचायत स्तर पर सुलभतापूर्वक करने की कार्रवाई संबंधित विभाग से संपर्क स्थापित कर सकता है।

1. अग्निकांड के तराई क्षेत्रों।दियारा क्षेत्रो में जहां ग्राम के समीप सरकारी जमीन उपलब्ध हो, वहां फलदार वृक्ष लगायें जायें।

2. ग्राम के समीप यदि जलाशय हो, तो उसके जल का दुरुपयोग न किया जाय साथ ही ग्राम में उपलब्ध छोटे पम्पों की व्यवस्था जलाशय के समीप की जाय ताकि आश्यकता होने पर अग्निकांड में जलाशय का उपयोग किया जा सके । पम्प के उपयोग का खर्च सरकारी कोष से वहन करने हेतु पंचायत को अंचल स्तर से पूर्व में ही आश्वासन दे दिया जाय ।

3. जिस ग्राम के समीप कोई बड़ा जलाशय नहीं है, मात्र कुआं एवं चापाकल है, वहां के कुए एवं चापाकल में समीप 10×5×4 का एक पक्का जलाशय तगाड़ पंचायत की निधि से बनवा दिया जाय तथा वर्षों तक इस कार्य में इसका उपयोग सुनिश्चित रहे ।

4. जिला प्रशासन द्वारा पंचायत स्तर पर मार्च से जून तक पाक्षिक वैसे नागरिको के साथ की जाय, जिसमें केवल अग्निकांड की रोकथाम पर ही सुझाव का प्रदान प्रदान-किया जाय तथा उनका कारगर कार्यान्वयन भी किया जाय ।